प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के.अग्निहोत्री.

रिट याचिका(सेवा) क्रमांक 5053/2006

याचिकाकर्ताओं : शंकरलाल पटेल एवं अन्य

बनाम

वादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री जे.आर. वर्मा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ।

श्रीमती अंजू आहूजा शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1, 2, 3, 6, 9 और 10 के लिए ।

आदेश

(14 सितम्बर, 2006 को पारित)

1. इस मामला मे याचिकाकर्ता 4 वर्ष की अवधि, जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, से आगे सेवा में निरंतरता और स्थायित्व की मांग कर रहे हैं।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं को प्रारंभ में जनभागीदारी समिति और पंचायत आदिल, ब्लॉक मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा द्वारा संचालित विद्यालय में व्याख्याता/शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने के लिए,याचिकाकर्ताओं को उसी वेतन पर जारी रखने की अनुमति दी गई थी ,जो पंचायत एवं जनभागीदारी समिति द्वारा दिनांक 25.7.2002 के आदेश (अनुलग्नक P/l) द्वारा निर्धारित किया गया था, इस शर्त के साथ कि संबंधित विद्यालय अपने विद्यालय के निर्माण के लिए बजट का भुगतान करेगा और शिक्षकों को मासिक वेतन का भुगतान करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के मामले में आदेश दिनांक 30.7.2004 द्वारा तथा अन्य याचिकाकर्ताओं के मामले में आदेश दिनांक 8.7.2004 द्वारा (अनुलग्नक पी/3) उक्त पदों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति आगामी शैक्षणिक सत्र 2004-05 एवं 2005-06 के लिए उन्नत किये गए डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत अडिल, विकासखंड मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा में बढ़ा दी गई थी।

5. याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका दायर कर प्रार्थना की है कि उत्तरवादी/राज्य और पंचायत को सरकार द्वारा नियमित रूप से नियुक्त ख्याताओं/शिक्षकों को किए जाने वाले वेतन के अनुसार उच्च वेतन देने का निर्देश दिया जाए और याचिकाकर्ताओं की आगे की सेवाओं को नियमित वेतनमान प्रदान करते हुए नियमित किया जाए।

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जे.आर. वर्मा ने स्वीकार किया कि निःसंदेह,याचिकाकर्ता की नियुक्ति शुरू में दो शैक्षणिक सत्रों की अवधि के लिए थी, उसके बाद इसे दो और शैक्षणिक सत्रों 2005-2006 तक के सत्र के लिए बढ़ा दिया गया था। याचिकाकर्ता सरकार द्वारा नियमित रूप से नियुक्त व्याख्याताओं/शिक्षकों के बराबर वेतनमान दिए जाने के हकदार हैं और याचिकाकर्ताओं ने नियमित वेतनमान के साथ नियमितीकरण का अधिकार भी हासिल कर लिया है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा याचिका मे किये गए अभिवचनो और अभिलेखों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति विधि के अनुसार नहीं थी, लोक नियोजन की योजना के अनुरूप नहीं थी तथा योग्य व्यक्तियों के बीच उचित आमंत्रण और प्रतिस्पर्धा के बाद नहीं थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को नियमितीकरण/स्थायीकरण या नियमित आधार पर नियुक्त अन्य व्याख्याताओं/शिक्षकों के बराबर वेतनमान का कोई अधिकार नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) एवं अन्य के मामले की कंडिका 28 मे निम्नानुसार अवधारित किया :

> "28. निदेशक, प्रबंधन विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश बनाम पुष्पा श्रीवास्तव मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया चूँकि नियुक्ति पूर्णतः संविदात्मक और तदर्थ आधार पर थी एक निश्चित अवधि के लिए समेकित वेतन पर और बिना किसी सूचना के समाप्त होने योग्य थी, इसलिए जब नियुक्ति समय सीमा के बाद समाप्त हो जाती थी, तो नियुक्त व्यक्ति को पद पर बने रहने और सेवा समाप्ति के बाद

नियमितीकरण के लिए किसी नियम/सूचना के अभाव में सेवा में नियमितीकरण का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। नियुक्त व्यक्ति को संबंधित कैलेंडर वर्ष के अंत तक सहानुभूतिपूर्वक सेवा में बने रहने की अनुमति देने का निर्देश देने की सीमित अनुतोष जारी की गई थी। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि जब नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ और संविदात्मक आधार पर सीमित अवधि के लिए की गई थी, तो अवधि समाप्त होने पर, पद पर बने रहने का अधिकार समाप्त हो गया। इस न्यायालय ने कहा कि उनका दृष्टिकोण एकमात्र संभव दृष्टिकोण था और उच्च न्यायालय के उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसने नियुक्त व्यक्ति को अनुतोष दी थी।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. इसके अलावा, कंडिका 43 और 44 में निम्नानुसार अवाधारित की गई :-

"43. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि लोक नियोजन में समानता के नियम का पालन हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और चूंकि विधि का शासन हमारे संविधान का मूल है, इसलिए अदालत निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को बरकरार रखने या संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता की अनदेखी करने का आदेश देने मे अक्षम है । इसलिए, लोक नियोजन की योजना के अनुरूप, इस न्यायालय ने विधि बनाते समय यह अनिवार्य रूप से माना है कि जब तक नियुक्ति सुसंगत नियमों के अनुसार और योग्य व्यक्तियों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा के बाद नहीं होती है, तब तक वह नियुक्त व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं देगा। यदि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह एक संविदात्मक नियुक्ति है, तो नियुक्ति अनुबंध के अंत में समाप्त हो जाती है, यदि कार्य पर रखा जाना या नियुक्त किया जाना दैनिक वेतन पर नियुक्ति या सामान्य नियुक्ति थी, तो वह तब समाप्त होगी जब तक उन्हें हटा न दिया जाये इसी तरह, एक अस्थायी कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर स्थायी होने का दावा नहीं कर सकता था। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केवल इसलिए कि एक अस्थायी कर्मचारी या एक आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि से परे कुछ समय के लिए बना रहता है, वह केवल ऐसी निरंतरता के आधार पर नियमित सेवा में विलियन होने या स्थायी होने का हकदार नहीं होगा, यदि मूल नियुक्ति प्रासंगिक नियमों द्वारा परिकल्पित चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई थी। अस्थायी कर्मचारियों के कहने पर नियमित भर्ती को रोकना न्यायालय के लिए खुला नहीं है, जिनकी रोजगार की अवधि समाप्त हो गई है या तदर्थ कर्मचारियों की, जो अपनी नियुक्ति की प्रकृति से कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्य करने वाले उच्च न्यायालयों को आम तौर पर विलियन, नियमितीकरण या स्थायी निरंतरता के लिए निर्देश जारी नहीं करने चाहिए, जब तक कि भर्ती स्वयं नियमित रूप से और संवैधानिक योजना के अनुसार नहीं की गई हो। केवल इसलिए कि कोई कर्मचारी न्यायालय के आदेश की आड़ में कार्यरत रहा, जिसे हमने निर्णय के पूर्वार्ध में "विवादास्पद नियोजन" कहा है, उसे सेवा में विलियन होने या स्थायी होने का कोई अधिकार नहीं होगा। वास्तव में, ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्देश

जारी करना न्यायोचित नहीं हो सकता, क्योंकि यदि अंततः उसके पास आने वाला कर्मचारी अनुतोष का हकदार पाया जाता है, तो उसके लिए अनुतोष को इस प्रकार ढालना संभव हो सकता है कि अंततः उसे कोई नुकसान न हो, जबकि उसे रोजगार जारी रखने का अंतरिम निर्देश चयन की नियमित प्रक्रिया को रोक देगा या राज्य पर ऐसे कर्मचारी को भुगतान करने का भार डाल देगा जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरतनी चाहिए कि वे राज्य या उसके तंत्रों द्वारा अपने मामलों की आर्थिक व्यवस्था में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करना या संवैधानिक और वैधानिक आदेशों को दरकिनार करने में सहायता करने के लिए स्वयं को साधन प्रदान करना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. "समान कार्य के लिए समान वेतन" की अवधारणा, तदर्थ आधार पर, अस्थायी आधार पर या नियमों द्वारा परिकल्पित चयन की किसी प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त किए गए लोगों को स्थायीत्व प्रदान करने की अवधारणा से भिन्न है। इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया है तथा उस सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए मापदंड निर्धारित किए हैं। ये निर्णय हमारे संविधान में निहित समानता की अवधारणा पर आधारित हैं, जो उस संबंध में निर्देशक सिद्धांतों के प्रकाश में है। लेकिन उस सिद्धांत को स्वीकार करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती, जहां न्यायालय यह निर्देश दे सके कि विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन किए

बिना की गई नियुक्तियां स्थायी मानी जाएं या उन्हें स्थायी मानने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। ऐसा करना अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इस न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश देने की शक्ति का उपयोग सामान्यतः लोक नियोजन के मामले में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को दर किनार करने के लिए नहीं किया जाएगा।

10. नियमित वेतनमान प्रदान करने के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम.पी. राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड बनाम महेंद्र एवं अन्य के मामले की कंडिका 5 में निम्नानुसार अवधारित किया है:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"..........हमारा विचार है कि प्रतिवादी कामगारों ने एक अनुबंध पर अपना रोजगार स्वीकार किया है, जिसकी शर्तों में इनमें से प्रत्येक कामगार का वेतनमान निर्दिष्ट किया गया है, जब उनकी सेवाएं इंदौर टेक्सटाइल, उज्जैन द्वारा समाप्त कर दी गई थीं, तो वे अपीलार्थी निगम के वेतनमान का दावा नहीं कर सकते।"

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम सोमवीर सिंह के मामले में कंडिका 26 में आगे निम्नानुसार अवधारित किया है:-

"26. यह सच है कि प्रतिवादी लंबे समय से काम कर रहे थे। यह भी सच हो सकता है कि उन्हें नियमित वेतनमान पर वेतन नहीं दिया गया था। लेकिन,

उनके पास कोई पद नहीं था। इसलिए, वे नियमित वेतनमान पर वेतन पाने के हकदार नहीं थे। इसके अलावा, केवल इसलिए कि प्रतिवादियों ने कुछ समय तक काम किया है, यह अपने आप में उमादेवी (3) में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर उनकी सेवाओं के नियमितीकरण का निर्देश देने का आधार नहीं होगा।"

12. उपरोक्त कारणों से याचिकाकर्ताओं को नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं है और साथ ही वे किसी भी अवधि के लिए उच्च नियमित वेतनमान के हकदार नहीं हैं। इसलिए, इस रिट याचिका को तदनुसार खारिज किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रह है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
सतीशके.अग्निहोत्री
न्यायाधीश

1. ((2006) 4 एससीसी 1}

2. ((2005) 10 एससीसी 675)

3. ((2006) 5 एससीसी 493)

15. ((1992) 4 एससीसी 33)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By VIRENDRA VERMA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur